

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

सं0सं0:-03 / प्रो0-05-03 / 2014

राँची / दिनांक :-.....

:-आदेश :-

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-5207 दिनांक 14.08.2002 में निहित प्रावधानों के आलोक में दिनांक 29.08.2016 को विभागीय स्क्रीनिंग समिति की सम्पन्न बैठक में प्राप्त अनुशंसा के आलोक में निम्न सारणी के स्तम्भ-2 में अंकित कनीय अभियन्ता को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (ACP) योजना के तहत स्तम्भ-4 में वर्णित तिथि को प्रथम वित्तीय उन्नयन का लाभ क्रमशः वेतनमान् रू0 6500-10500 में स्वीकृत किया जाता है :-

क्रमांक	कनीय अभियन्ता का नाम/ पदस्थापन का स्थान/गृह जिला/आई0डी0 कोड/ जन्मतिथि	नियुक्ति की तिथि	ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत प्रथम वित्तीय उन्नयन की देय तिथि (वेतनमान 6500-10500)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री भोला प्रसाद / अग्रिम योजना प्रमण्डल, राँची / नालदा / जे0 8847 / 11.10.57	18.04.88	18.04.2000	

(ख) यह योजना दिनांक 09.08.99 से प्रभावी है किन्तु इसके अन्तर्गत वित्तीय लाभ 15.11.2000 से देय होगा।

(ग) उपर्युक्त स्वीकृत वित्तीय उन्नयन में अगर कोई त्रुटि पायी जाती है अथवा मंत्रिमंडल निगरानी या किसी अन्य स्रोत से निगरानी स्वच्छता प्रतिकूल प्राप्त होता है तो स्वीकृत लाभ को रद्द/संशोधित कर भुगतान की गई राशि की एक मुश्त वसूली कर ली जाएगी और इसके विरुद्ध किसी प्रकार का दावा सरकार या न्यायालय में विचारणीय नहीं होगा।

(घ) प्रस्ताव पर विभागीय स्क्रीनिंग की अनुशंसा पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

(ङ) प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(मनोज कुमार)

सरकार के अवर सचिव

राँची / दिनांक :-.....

ज्ञापांक :-.....

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(मनोज कुमार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :-.....

राँची/दिनांक :-.....

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-


(मनोज कुमार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :-..... 9511

राँची/दिनांक :- 20-09-16

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियन्ता, अग्रिम योजना, राँची/अधीक्षण अभियन्ता, अग्रिम योजना अंचल, राँची /अप्रर सचिव (मुख्यालय)/उप सचिव (मुख्यालय)/कार्यपालक अभियन्ता, अग्रिम योजना प्रमण्डल, राँची/श्री भोला प्रसाद, कनीय अभियन्ता, अग्रिम योजना प्रमण्डल, राँची/प्रशाखा-02 एवं 08/वेब इन्फारमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/बायोडाटा कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(मनोज कुमार)

सरकार के अवर सचिव

20/9